सत्र प्रकरण संख्या–108/2024

प्रपत्र–क

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया व्यवहार न्यायालय, गया	
उपस्थित	**शशि कांत ओझा** **अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया ।**
निर्णय की तिथि	**05.05.2026**
सत्र प्रकरण सं0	**108/2024**
जी0 आर0 नम्बर	2571/2020
बेलागंज थाना कांड सं0	155/2020
सूचक	राज्य सरकार द्वारा सूचक अयोध्या शर्मा
अभियोजन की तरफ से	श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त गण का नाम	1. अभिमन्यु कुमार, पिता–रंजीत यादव, ग्राम– बिरबल बिगहा, थाना–बेलागंज, जिला–गया।
सभी अभियुक्तगण की तरफ से	1. मो0 फिरोज आलम, विद्वान अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	25.05.2020
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	01.06.2020, धारा– 363/366(ए) भा0 द0 वि0।
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	07.10.2020, धारा– 363/366(ए) भा0 द0 वि0।
संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	24.05.2022, धारा– 363/366(ए) भा0 द0 वि0।
आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	30.01.2025, धारा– 363/366(ए) भा0 द0 वि0।
प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि	09.04.2026
बयान दर्ज करने की तिथि	29.04.20206
निर्णय हेतु रखने की तिथि	05.05.2026
निर्णय की तिथि	**05.05.2026**
सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

क्र0 सं0	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफतारी एवं आत्मसमर्पण की तिथि**	**जमानत पर मुक्ति की तिथि**	**जिन अपराधों का आरोप बनाया गया**	**चाहे दोषमुक्त हो या दोषी**	**सजा सुनाई गई**	**धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि**
01.	**अभिमन्यु कुमार**	**09.08.2020**	**07.10.2020**	**धारा– 363 एवं 366(ए) भा0 द0 वि0।**	**दोषमुक्त**	**N.A.**	**N.A.**

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त अभिमन्यु कुमार प्रस्तुत प्रकरण में धारा– 363 एवं 366(ए) भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक, अयोध्या शर्मा के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2025 को समय करीब 05 बजे सुबह सूचक अपने घर से सोकर उठे तो देखे कि इनकी लड़की खुशी कुमारी अपने कमरे में नहीं हे तो सभी परिवार को जगाया और कहा कि घर में खुशी कुमारी अपने कमरे में नहीं है, उसी समय से ये सारे परिवार खोज में लग गये, मुखिया एवं सरपंच द्वारा भी खोजा गया लेकिन पता नहीं चला। शक के आधार पर बगल के लड़का अभिमन्यु कुमार बोला कि ये इनकी लड़की खुशी कुमारी को नहीं ले गये हैं तो ये भुतपूर्व मुखिया के बेटा दीपु सिंह को घटना के बारे में बताया तो इनके सामने हीं दीपु ने अपने मोबाईल से फोन लगाकर अभियुमन्यु कुमार से पुछे तो अभियुमन्यु कुमार ने कहा कि वो इनकी बेटी खुशी कुमारी को भगा कर ले गया है और कल शाम 7 बजे खुशी कुमारी को घर पहॅचा देंगे एवं फोन पर इनकी बेटी खुशी कुमारी से बात भी करवाया उसके बाद मोबाईल बन्द कर दिया। जब लौटकर नहीं आये तो सूचक ने अभिमन्यु पर इनकी नवालीग लड़की को शादी के नियत से भगा कर ले जाने का केस दर्ज करवाया।

3. सूचक के आवेदन के आधार पर गया बेलागंज थाना कांड संख्या–155/2020, दिनांक 01.06.2020 अन्तर्गत धारा– 363/366(ए) भा0 द0 वि0 अभियुक्त अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्त भीम पासवान के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप–पत्र संख्या – 249/2020, दिनांक 07.10.2020, अन्तर्गत धारा– 363 एवं 366(ए) भा0 द0 वि0 में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितिय, गया द्वारा दिनांक 24.05.2022 को उपरोक्त आरोप–पत्रित अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक–04.01.2024 को मामले को अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय में दौरा–सुपुर्द किया गया।

5. दिनांक 30.01.2025 को अभियुक्त अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध धारा– 363 एवं 366(ए) भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद विचारण का दावा किया।

6. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकरण का अभिलेख दिनांक–20.05.2024 को इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

7. दिनांक 29.04.2026 को अभियुक्त अभिमन्यु कुमार का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के भीम पासवान के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

मन्तव्य

9. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 04 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– अयोध्या शर्मा, सूचक

अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– रवि भुषण कुमार उर्फ दीपु सिंह

अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– तिलोत्मा देवी

अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– राहुल कुमार

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैंः–

प्रदर्श–1– आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– अयोध्या शर्मा, सूचक**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि यह मुकदमा इन्होने ने किया है और आगे कहा है कि यह घटना वर्ष 2020 की है। इनकी पुत्री खुशी कुमारी का उम्र घटना के समय 14 वर्ष थी और घटना के दिन सुबह में वह घर से भाग गयी थी, उसके बाद सूचक एवं उनके बाद इनलोग खोजबिन करने लगे परन्तु नहीं मिली तो इन्होने ने अभिमन्यु के खिलाफ शक के आधार पर थाना में केस किया। बाद में इनकी पुत्री लौटकर आ गयी और उसकी शादी दो साल पहले अपने समाज के लड़के से कर चुके हैं। प्राथमिकी आवेदन पर इनके हस्ताक्षर को इनके पहचान पर प्रदर्शः–1 अंकित किया गया है। ये अगे कहते हैं कि अभियुक्त अभिमन्यु को देखकर पहचान लेंगे।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मैं जिस गांव में रहता हूं वह करीब 100 घरों की बस्ती है जिसमें मेरे जाति के चार–पांच घर है। घटना के बाद मैनें परिवार वालों के पास पुछताछ किया था परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया था। मैनें शक के आधार पर अभियुक्त अभिमन्यु को फसांया था। मैनें उसे अपनी लड़की को लेकर भागते हुए नहीं देखा था। मेरी बेटी घर पर आ गयी है एवं मैनें उसकी शादी भी कर दी है। अभियुक्त अभिमन्यु से मुझे कोई शिकायत नहीं है। धारा– 164 द0 प्र0 स0 के बयान में मेरी बेटी ने बोला था की वह अपनी मौसी के घर अपने मर्जी से गयी थी। अभियुक्त मेरे बगल के गांव का है इसलिए मैं पहचानता हूं। अभियुक्त के पिता जी डॉक्टर है एवं प्रतिष्ठित परिवार से है। जिस फोन नंबर से मेरी बेटी अभियुक्त अभिमन्यू से बात करती थी उसका नंबर मैं नहीं बता सकता हूं।''

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– रवि भुषण कमार उर्फ दीपू सिंह,** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि '' अयोध्या शर्मा को मैं जानता हूं। उनकी लड़की के साथ कुछ हुआ था या नहीं यह मुझे जानकारी नहीं है। दरोगा जी मुझसे पुछताछ किये थे। ''।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को साक्षी ने स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैनें पुलिस में भी बोला है कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। मेरे विरूद्ध नोटिस गया था इसलिए आज मैं गवाही दे रहा हूं। सूचक अयोध्या शर्मा मेरे गांव के है।''

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– तिलोत्मा देवी**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि ''खुशी मेरी लड़की थी। उसके साथ कुछ घटना नहीं घटा था। वह अपनी मौसी के यहां चली गयी थी और एक महिने बाद घर आयी थी। मेरी बेटी को कोई भगाकर नहीं ले गया था। दरोगा जी मुझसे पुछताछ नहीं किये थे।''

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को साक्षी ने स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि '' मेरी पुत्री मौसी के घर चली गयी थी जो एक महिना के बाद लौटी थी। अभियुक्त अभिमन्यु से मुझे कोई शिकायत नहीं हैं। घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। ''।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– राहुल कुमार**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि '' खुशी कुमारी मेरी बहन है। उसके साथ कुछ घटना नहीं घटा था। दरोगा जी मुझसे पुछताछ नहीं किये थे।''

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को साक्षी ने स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त भीम पासवान को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मेरी बहन खुशी कुमारी मौसी के घर चली गयी जो एक महिना के बाद लौट आयी थी। मुझे इस घटना के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है और न ही पुलिस ने मेरा बयान लिया है। अभियुक्त अभिमन्यु से मुझे कोई शिकायत नहीं है।''

15. उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को स्थापित करने हेतु कुल 4 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अभियोजन साक्षी सं0– 1 सह सूचक ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया है और कहा है कि घटना वर्ष 2020 की है। घटना की तिथि को वह घर से भाग गयी थी। प्राथमिकी आवेदन पर इनके हस्ताक्षर को इनके पहचान पर प्रदर्शः–1 अंकित किया गया है तथा ये अभियुक्त को देखकर पहचनने की बात बताते हैं। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि करने का निवेदन किया गया।

16. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के प्रस्तुत साक्षी सं0 1 सूचक साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह मुकदमा उसने किया है और घ ाटना वर्ष 2020 की है। खुशी कुमारी इनकी बेटी है जो घटना के दिन घर से भाग गयी थी। शक के आधार पर थाना में केस किया। इनकी पूत्री लौटकर आ गयी तो उसकी शादी अपने समाज के लड़के से कर दिया है। प्रति परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि इन्होने ने शक के आधार पर अभियुक्त को फंसाया था। इन्होनें अपनी लड़की को लेकर भागते किसी को नहीं दखेा था। अभियुक्त अभियुमन्य से इनको कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 8 में कहा है कि इनकी बेटी ने धारा 164 द0 प्र0 स0 के बयान में बोली थी कि वह अपनी मौसी के घर अपनी मर्जी से गयी थी। अन्य तीनों साक्षीयों ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि खुशी कुमारी के साथ कुछ नहीं हुआ था और कोई घटना नहीं घटी थी और पुलिस इनलोगों का बयान नहीं लिया था। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्तगण के संबंध में मामले कोक युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

17. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत न्यायालय यह पाती है की अभियोजन की ओर से कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं0 1 सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के दौराण प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर का पहचान कर प्रदर्शः–1 अंकित कराया है और आगे कहा है कि अभियुक्त अभियमन्यु के खिलाफ शक के आधार पर केस किया था। प्रति परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि इन्होने ने शक के आधाार पर अभियुक्त को फंसाया था। ये अपनी लड़की को किसी को भगाते नहीं देखा था और अभियुक्त अभिमन्यु से इन्हे कोई शिकायत नहीं है तथा यह भी कहा है कि इनकी लड़की ने धारा 164 द0 प्र0 स0 के बयान में कहा है कि वह अपनी मौसी के घर अपनी मर्जी से चली गयी थी। अभियुक्त इनके बगल के गांव के हैं इसलिए पहचानते हैं। सक्षी सं0 2, 3 एवं 4 को अभियोजन के निवेदन पर

न्यायालय द्वारा पक्षद्रोहि घोषित किया गया है। इन सभी साक्षीयों ने अपने साक्ष्य के दौरान कोई भी तथ्य अभियोजन के समर्थन में नहीं लाया है और सभी ने अपने अपने बयान में कहा है कि खुशी कुमारी के साथ कोई घटना नहीं घटी थी। प्रति परीक्षण के दौरान भी इन सभी साक्षीयों ने कहा है कि खुशी कुमारी अपनी मौसी के यहॉ चली गयी थी और अभियुक्त अभिमन्यु से इनलोगों का कोई शिकायत नहीं है।

अतः इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 363 एवं 366(ए) भा0 द0 वि0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

18. चूंकि अभियोजन अभियुक्त अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त अभिमन्यु कुमार को धारा– 363 एवं 366(ए) भा0 द0 वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अभिमन्यु कुमार पूर्व से जमानत पर हैं, अतः उनके जमानतदारों को बन्ध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–05.05.2026

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :– 05.05.2026